छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 28/04/2016

क्रमांक/पचा./पंग्राविवि/22/2016/227/ विभागीय आदेश क्रमांक एफ 6–36/पंग्राविवि/22–2/2013, दिनांक 17.05.2013 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में 08 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को दिनांक 01.05.2013 से शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की सेवाकाल की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जायेगी। उपरोक्त आदेश के स्पष्टीकरण में विभागीय अनुदेश कमांक 426/पंचा–543/22/पंग्राविवि/2013, दिनांक 22.01.2014 में बिन्दु कमांक 8 में उल्लेखित "जिन शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा निम्न पद पर रहते हुए जिला/जनपद पंचायतों से अनुमति प्राप्त कर उच्च पद शिक्षक (पंचायत) संवर्ग पर आवेदन प्रस्तुत कर नियुक्त हुए हैं, उनकी सेवा की गणना निम्न पद पर कार्यरत अवधि से नहीं की जायेगी। नवनियुक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवा की अवधि की गणना की जायेगी" जारी दिशा निर्देश के विरूद्ध कतिपय शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू ए 413/2014 एवं अन्य प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 09.12.2015 में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशित किया गया कि यदि अपीलार्थी निवेदन करते हैं, तो उनके प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए छः माह में प्रकरण में विधिसम्मत एवं तर्क सहित बोलता हुआ आदेश जारी करें।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2015 के पालन में दिनांक 19.02.2016 को संबंधित याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधियों को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा मुख्य रूप से समक्ष में अवगत कराया गया कि जिन शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के निम्न पद पर रहते हुए नियोक्ता से लिखित अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उच्च पद शिक्षक (पंचायत) संवर्ग पर चयन के बाद नियुक्त हुए हैं, उनकी सेवा की गणना निम्न पद (प्रथम नियुक्ति) पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से की जाये।

प्रकरण में वित्त विभाग से भी अभिमत प्राप्त किया गया। विचारोपरांत लिये गये निर्णय अनुसार यह स्वीकृति प्रदान की जाती है कि जिन शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के निम्न पद पर रहते हुए नियोक्ता (जिला/जनपद पंचायत) से लिखित अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उच्च पद शिक्षक (पंचायत) संवर्ग पर चयन के बाद नियुक्त हुए हैं, उनकी सेवा की गणना निम्न पद (प्रथम नियुक्ति) पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से की जायेगी। यह वरिष्ठता मात्र वेतन

निर्धारण हेतु प्राप्त होगी। इस स्वीकृति के संबंध में यह शर्त होगी कि [illegible] शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के निम्न पद पर पदस्थापना की अवधि में वर्तमान नियोक्ता से समुचित अनुमति प्राप्त कर संवर्ग के उच्च पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त होता है [illegible] उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उसे अपने वर्तमान पद से त्याग पत्र [illegible] है तो इस त्यागपत्र को तकनीकी त्यागपत्र माना जायेगा एवं इसकी प्रविष्टि सेवा अभिलेखों में की जावेगी।

इस विभाग के अनुदेश कमांक 426 / पंचा–543 / 22 / पंग्राविवि / 2013 दिनांक 22.01.2014 में उल्लेखित बिन्दु कमांक 8 को विलोपित किया जाता है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक कमांक 29 / ब 2 कम्प्यूटर क 22–01257 दिनांक 08.04.2016 द्वारा प्रदान की गई है।

यह आदेश दिनांक 01.05.2013 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

23/4/16
(याकूब खेस्स)
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक / पंचा. / पंग्राविवि / 22 / 2016 / 228 नया रायपुर, दिनांक 23 / 04 / 2016
प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा[illegible] र्थ एवं आ[illegible]
11. श्री [illegible] को सूचन[illegible]

23/4/16
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग